प्रश्न सं. [क्र. 835]

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक: 28/07/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:-मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015

राज्य शासन एतद् द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक 11208-3209-ग्यारह-अ, दिनांक 26 अगस्त, 1974 से मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता जिल्द-2 के विद्यमान परिशिष्ट-5 में प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेश, निर्देश/नियम निष्प्रभावी करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार "मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015" तत्काल प्रभाव से जारी कर लागू करता है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

24. पुनः क्रय प्रस्ताव (Buy Back Offer) :

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया जा सकेगा कि विद्यमान सामग्री के स्थान पर नई और बेहतर सामग्री का क्रय किए जाने की दशा मे विभाग नइ सामग्री खरीदते समय विद्यमान पुरानी सामग्री का व्यापार (trade) कर सकेगा । इस प्रयोजनार्थ निविदा दस्तावेज में एक समुचित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा ताकि संभावित और इच्छुक निविदाकर्ता तदनुसार अपनी दरें प्रस्तुत कर सकें । व्यापार की जाने वाली पुरानी सामग्री के मूल्य और उसकी स्थिति के आधार पर सफल निविदाकर्ता को पुरानी सामग्री सौपें जाने के समय और तरीके का उल्लेख निविदा दस्तावेज में उचित ढंग से किया जाएगा । विभाग द्वारा नई सामग्री क्रय करते समय पुरानी सामग्री के व्यापार करने या न करने का निर्णय लिए जाने संबंधी प्रावधान भी निविदा दस्तावेज में किया जाएगा ।

25. प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता :

25.1 क्रय प्राथमिकता

उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा अखिल भारतीय निविदा के माध्यम से क्रय की स्थिति में प्रदेश के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अखिल भारतीय निविदा में प्रदेश के बाहर की इकाई की दर न्यूनतम होने की दशा में 50 प्रतिशत क्रय प्रदेश के बाहर की इकाई से तथा शेष 50 प्रतिशत नियम 25.2 अनुसार प्रदेश की इकाईयों से न्यूनतम दर पर किया जाएगा। प्रदेश की इकाई के दर के न्यूनतम होने की दशा में 100 प्रतिशत क्रय प्रदेश की इकाई के माध्यम से ही किया जाएगा।

25.2 निविदा में मूल्य कोटेशन :

उपार्जनकर्ता अभिकरणों द्वारा राज्य एवं अखिल भारतीय निविदा में सहभागी प्रदेश के प्रथम तीन सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिन्होंने L1+15% के मूल्य बैंड के भीतर निविदा में दरें प्रस्तुत की हैं, वहां उनके मूल्य को L1 मूल्य के स्तर पर लाकर उनकी क्षमता के दृष्टिगत कुल निविदा मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत तक के आपूर्ति की अनुमति होगी।

25.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अन्य सुविधा :

25.3.1 प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा प्रस्तुत करने हेतु टेण्डर फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

25.3.2 प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा में प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से छूट रहेगी।